दैनिक
फाईट अगेंस्ट क्रिमिनल

वर्ष : ०९ | अंक:९३ | मुंबई, शुक्रवार १५ अगस्त२०२५ | RNI. No. : MAHHIN/2016/71734 | पृष्ठ-४ | मूल्य २/रू.

आज 2,529 पुलिस अधिकारी और 11,682 पुलिस जवान शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनात रहेंगे

मुंबईः 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। इस दौरान

14 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। चूंकि, इस राष्ट्रीय पर्व को मनाए जाने के दौरान विभिन्न जगहों पर धार्मिक शोभायात्राएं और कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसलिए, इन सभी आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए मुंबई पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के मार्गदर्शन और पुलिस सह आयुक्त सत्य नारायण चौधरी (कानून एवं सुव्यवस्था) की देखरेख में बंदोबस्त की योजना बनाई गई है। इसके तहत 15 अगस्त को 6 अपर पुलिस आयुक्त, 17 पुलिस उपायुक्त, 39 सहायक पुलिस आयुक्त, 2,529 पुलिस अधिकारी और 11,682 पुलिस जवान शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनात रहेंगे। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्थानों पर फोर्स वन, एसआरपीएफ प्लाटून, क्यूआरटी, दंगा नियंत्रण दल, डेल्टा, कॉम्बैट और होमगार्ड भी तैनात रहेंगे।रों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तांगड़ी और तेजस तांगड़ी धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गए। इस घटना में धीरज तांगड़ी घायल हो गए, उनको नजदीकी अस्पताल में कराया गया है।

स्वतंत्रता दिवस पर मांसबंदी आदेश

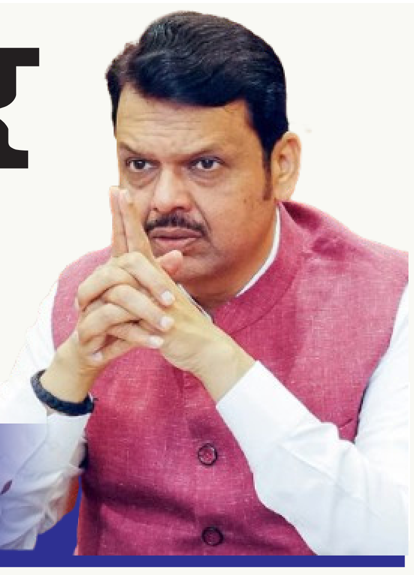

विपक्ष ने बताया आजादी पर हमला, सरकार ने कहा पुराना आदेश

सईद शेख

मुंबई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्र में मांस बिक्री पर रोक का आदेश आते ही नागरिकों में गुस्सा और राजनीति में उबाल आ गया। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध के सुर तेज हैं। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने महापालिका और सत्ता पर तीखा वार किया, तो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर कहा – 'यह हमारे सरकार का फैसला नहीं।' महापालिका का फरमान आदेश के अनुसार, 15 अगस्त को पूरे शहर में मांस की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही, 14 अगस्त की रात से लेकर 15 अगस्त की मध्यरात्रि तक सभी कत्लखाने भी बंद रहेंगे। पुराने नियम के नाम पर जारी यह आदेश अब राजनीतिक घमासान का नया गोला बन चुका है, जिसमें एक तरफ सरकार पल्ला झाड़ रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता की आज़ादी पर सीधा हमला बता रहा है।

आव्हाड का हमला – 'आज़ादी के दिन आज़ादी छीनना चाहते हैं?' जितेंद्र आव्हाड ने गरजते हुए कहा, 'कल्याण-डोंबिवली में एक आयुक्त ने आदेश दिया कि 15 अगस्त को मांस बिक्री नहीं होगी। क्या यह उनके बाप का राज है? अब लोग क्या खाएं और दुकानदार क्या बेचें – क्या इस पर कोई कानूनी पाबंदी है? जिस दिन देश को आज़ादी मिली, उसी दिन आप हमारा स्वतंत्रता छीनने वाले हैं? यह कैसा तमाशा और कितनी नफरत फैलाना चाहते हैं आप?'

फडणवीस का पलटवार – 'पुराना आदेश, बेवजह का बवाल'

फडणवीस ने कहा, 'इस आदेश की जानकारी मुझे भी मीडिया से मिली। महाराष्ट्र में यह प्रावधान 1988 से लागू है और हर साल इसका पालन होता है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने मांसबंदी का आदेश भेजा था। कौन क्या खाए या न खाए, इसमें सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे सामने बड़े मुद्दे हैं, पुराने आदेश पर बेवजह विवाद और गलतफहमी फैलाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग तो हद पार कर शाकाहारियों को नपुंसक तक कहने लगे – यह मूर्खता बंद होनी चाहिए। यह फैसला पुराने शासन का है, हमारी सरकार ने नहीं लिया।'

SHABBIR MEMON (DIRECTOR) 9892488825. TEL: 022 6780894

MEMON REALTORS

Builder & Devloper PVT. LTD.

Shop No. 1 to 5, Bldg,. No . 2 Next Ahuja Bulding R.M. Road, Oshiwara, Jogeshwari(W), Mumbai - 400 102. memonshabbir24@gmail.com

संपादकीय

एम.एस.शेख
संपादक

स्वतंत्र भारत को अंग्रेजों से मिले थे, मात्र 300 करोड़

15 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन है। जिसे हम गर्व और सम्मान के साथ मनाते हैं। आज़ादी के उस क्षण में, भारत को अंग्रेज कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे । इसका अंदाजा ल गाना वर्तमान में आम आदमी के लिए संभव नहीं है । अंग्रेज हमें दीन-हीन अवस्था में छोड़कर भारत से भागे थे । आर्थिक रूप से कंगाल जैसी हाल ात में छोड़ा था ।यह उस समय की कटु सच्चाई है । अक्सर इतिहास के चमकदार पन्नों के पीछे इसे छुपा दिया जाता है। अंग्रेजों ने हमें कोई संपत्ति या नकदी नहीं सौंपी थी ।जो कुछ हमे मिला, वह ब्रिटिश सरकार की भारत मे मौजूदा संपत्तियों का हिस्सा था ।जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटकर अंग्रेज चले गए थे ।ब्रिटिश भारत के पास उस समय भारत के रिज़र्व बैंक में करीब 400 करोड़ रुपये जमा थे। विभाजन परिषद जो अंग्रेजों ने बनाई थी । उसने तय किया, इसका 75इ भारत को और 25इ हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा। यानी स्वतंत्र भारत के हिस्से में आए मात्र 300 करोड़ रुपये। यह राशि उस समय के भारत के विशाल भू-भाग,विशाल जनसंख्या, प्रशासकीय व्यवस्था, सेना, पुलिस की व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य सरकारी खर्च की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल था । आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। यह याद रखना जरूरी है, आजादी अंग्रेजों का दिया गया कोई 'तोहफा' नहीं था । यह भारत की अपनी ही पूंजी थी । जो रिजर्व बैंक में जमा थी । जिसे भारत की जनता से दशकों के शोषण से अर्जित जमा राशि रिजर्व बैंक में जमा की गई थी। इसके अलावा, ब्रिटेन मे भारत के रिजर्व बैंक का 'स्टर्लिंग बैलेंस' जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत द्वारा ब्रिटिश सरकार को कर्ज के रूप में 1600 करोड रुपए की राशि दी गई थी ।

शिक्षा मंत्री दादा भुसे के हाथों अमरावती से राज्यभर में गूंजेगी सामूहिक कवायत की धुन

अमरावती। शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे की पहल पर इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य की सभी माध्यमों की स्कूलों में देशभक्ति गीतों पर विद्यार्थियों का सामूहिक कवायत व संचलन आयोजित किया जाएगा। यह अभिनव उपक्रम इस बार पहली बार लागू हो रहा है। जेवडनगर स्थित मनपा उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में होने वाले इस कवायत कार्यक्रम में स्वयं मंत्री भुसे उपस्थित रहेंगे। राज्यभर में यह कार्यक्रम आज सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच होगा। इसके सफल संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसमें 'महाराष्ट्र गीत' सहित विभिन्न देशभक्ति गीतों पर विद्यार्थी कवायत प्रस्तुत करेंगे। शालेय शिक्षा विभाग ने हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए हैं। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास देशभर में पढ़ाया जाने का निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मराठी को केंद्र सरकार द्वारा अभिजात भाषा का दर्जा, और 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' राज्यगीत को सभी स्कूलों में राष्ट्रगान के बाद गाने की अनिवार्यता शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई के माध्यम से राज्य की सभी स्कूलों में मातृभाषा (महाराष्ट्र में मराठी) को अनिवार्य किया है। पिछले महीने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत राज्य के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अधिकारियों ने 2 करोड़ पौधारोपण किए। वहीं, शाला प्रवेशोत्सव के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने छात्रों का पुस्तक और गुलाब देकर स्वागत किया।

वसई विरार मनी लॉन्ड्रिंग कांड में पूर्व कमिश्नर अनिल पवार समेत चार गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति जब्त

2,500 परिवार बेघर, नेताओं की जेबें भरती रहीं – 41 इमारतों का काला सच

मुंबई। वसई विरार नगर पालिका में अवैध निर्माण और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने गुरुवार को नगर पालिका के पूर्व कमिश्नर अनिल पवार, नगर योजना विभाग के तत्कालीन प्रमुख वाई. एस. रेड्डी और बिल्डर सीताराम गुप्ता व अरुण गुप्ता को गिरफ्तार किया। चारों को शुक्रवार को ईडी कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। यह कार्रवाई 60 एकड़ आरक्षित भूमि पर बने 41 अवैध इमारतों से जुड़े भ्रष्टाचार के नेटवर्क का हिस्सा है। यह जमीन प्रदूषण उपचार संयंत्र और कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर इन इमारतों को फरवरी 2025 में तोड़ा गया था, जिससे करीब 2,500 परिवार बेघर हुए थे। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अनिल पवार ने एक संगठित 'भ्रष्टाचार कार्टेल' खड़ा किया था, जिसमें नगर योजना के अफसर, जूनियर

इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लायजनर्स शामिल थे। बिल्डरों से तय रेट पर रिश्वत वसूली जाती थी – पवार के लिए 2,025 रुपये प्रति वर्ग फुट और रेड्डी के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग फुट। अनुमान के मुताबिक सिर्फ पवार की मासिक आमदनी 2 से 2.5 करोड़ रुपये और रेड्डी की करीब 1 करोड़ रुपये थी, जबकि असल रकम इससे कहीं अधिक बताई जा रही है। पिछले 15 दिनों की छापेमारी में ईडी ने पवार के करीबी रिश्तेदारों के ठिकानों से 1.33 करोड़ रुपये नकद, अरबों रुपये की संपत्तियों के दस्तावेज और कई डिजिटल सबूत बरामद किए। मई में भी रेड्डी के हैदराबाद स्थित घर से 8.6 करोड़ नकद, 23 करोड़ से ज्यादा के आभूषण और बुलियन जब्त हुए थे। रेड्डी पर 31.48 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति रखने का मामला भी दर्ज है। सीताराम गुप्ता के घर की तलाशी में एक लकड़ी के पैनल के पीछे छुपाकर रखे गए 45 लाख रुपये मिले, जो इस घोटाले की गहराई को बयां करते हैं। ईडी का कहना है कि जांच में और बड़े खुलासे संभव हैं।

वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडीज; 180 से ज़्यादा गुंडों को पुलिस के हवाले किया

मुंबईः महिलाओं और लड़कियों के साथ उत्पीड़न और उनका मजाक उड़ाना सामान्य बात है और आज समाज इस सोच का आदी हो गया है. आए दिन इसके उदाहरण भी सामने आते रहते हैं. साथ ही इन घटनाओं को लेकर लोगों प्रतिक्रिया भी उदासीन है. महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर लोगों को सोच में बदलाव लाने की बजाय, हम क्या कर सकते हैं' ऐसा होता ही रहता है, हमें एक लड़की होने के नाते अपना ख्याल रखना चाहिए जैसी बेकार सलाह दी जाती है. हालांकि, कुछ लोगों ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि उत्पीड़न करना और उसे होते हुए देखना एक सोशल डिसओर्डर है. ऐसा एक शख्स दीपेश टांक हैं. दीपेश टांक ने महिलाओं पर उत्पीड़न और अभद्र हमले की परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने समान विचारधारा वाले दोस्तों के साथ एक अभियान शुरू किया है. जानकारी के मुताबिक उनके अभियान का नाम है 'वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडीज'. इस अभियान के लिए एक टीम यह दिखाने के लिए काम कर रही है कि संवेदनशील युवा अब ऐसी घटनाओं को देखकर मूकदर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी 'तीसरी आंख' खोलेंगे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे. 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक बस में एक युवती के साथ हुए गैंग रेप के बाद पूरा देश हैरान रह गया था. दीपेश कहते हैं कि उस समय उन्हें एक पुरुष होने के नाते खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई. उस समय दीपेश सोचने लगे कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वह क्या कर सकते हैं.

'नशा छोड़ो, जीवन संवारो' – अमरावती में पुलिस की साइकिल रैली ने जगाई चेतना

ऑपरेशन वाइप आउट' में युवाओं का दमदार प्रदर्शन

अमरावती। शहर आयुक्तालय के Operation Wipe Out अभियान के तहत गुरुवार (14 अगस्त) को नशा विरोधी जनजागरण के लिए एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन महाराष्ट्र राज्य की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की विशेष पुलिस महानिरीक्षक (Spl. IGP) श्रीमती शारदा राऊत और अमरावती के पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया के प्रमुख मार्गदर्शन और उपस्थिति में हुआ। रैली की शुरुआत सुबह शहर के पुलिस मुख्यालय से हुई, जिसमें पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, खेलप्रेमी, कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने नशे के खिलाफ बैनर और पोस्टर थामे, शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए 'नशा छोड़ो, जीवन संवारो', 'नशे से आज़ादी, जीवन में खुशहाली' जैसे नारे बुलंद किए। श्रीमती शारदा राऊत ने कहा कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को तबाह करता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशामुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने बताया कि Operation Wipe Out के तहत मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और खपत पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस मुहिम को जनआंदोलन बनाने के लिए ऐसे जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साइकिल रैली ने शहरभर में उत्साह और जागरूकता का माहौल पैदा किया। जगह-जगह नागरिकों ने प्रतिभागियों का फूलों से स्वागत किया और उनके प्रयासों की सराहना की। पुलिस विभाग ने नागरिकों से नशा विरोधी संदेश को घर-घर और गली-गली तक पहुँचाने का आह्वान किया।

राजू भाले गिरोह के 13 सदस्यों पर मकोका लागू

क्राईम पर काबू पाने के लिए अमितेश कुमार की बड़ी कार्यवाही

मुन्ना मुजावर

पुणे और सोलापुर जिले में संगठित अपराध को अंजाम देने वाले राजेंद्र उर्फ राजू महादेव भाले के गिरोह के 13 सदस्यों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादर, उप-विभागीय पुलिस अधिकारी डॉ. सुर्दशन राठोड और वालचंदनगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक राजकुमार दुनगे ने दी।

हत्या के मामले में कार्रवाई

27 फरवरी 2025 को इंदापुर तालुका के निमसाखर में उत्तम जलिंधर जाधव (उम्र 34, निवासी खोरोची) की पत्थर से कुचलकर और दरांती से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड में 13 आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि हुई। वालचंदनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू महादेव भाले सहित गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों के नाम

मकोका के तहत कार्रवाई झेल रहे आरोपियों में शामिल हैं:

राजेंद्र उर्फ राजू महादेव भाले (खोरोची)
रामदास उर्फ रामा शिवाजी भाले (खोरोची)
शुभम उर्फ दादा बापू अटोले (शेलगांव)
स्वप्निल बबन वाघमोडे (रेडनी)
नाना भागवत भाले (खोरोची)
निरंजन लहू पवार (खोरोची)
तुकाराम ज्ञानदेव खराट (खोरोची)
मयूर उर्फ जीजा मोहन पटोले (निमसाखर)
अशोक बालू यादव (शेलगांव)
धनाजी गोविंद मसुगाडे (करुंडे, तालुका मालशिरस, जिला सोलापुर)
सोमनाथ बबन पवार (कलंब)
सनी विलास हरिहर (एंथुरने)
अक्षय भारत शिंगाडे (शेलगांव)

राजू भालेः आदतन अपराधी

पुलिस के अनुसार, राजू भाले के खिलाफ पहले से ही 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह एक आदतन अपराधी है और पुणे व सोलापुर जिलों के इंदापुर, मालशिरस, और नटेपुते क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से संगठित अपराधों को अंजाम दे रहा था। इस गिरोह पर नकेल कसने के लिए वालचंदनगर पुलिस ने मकोका के तहत यह कठोर कार्रवाई की।

पुलिस की टीम और मार्गदर्शन

यह कार्रवाई पुणे जिला पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादर, और उप-विभागीय पुलिस अधिकारी डॉ. सुर्दशन राठोड के मार्गदर्शन में की गई। वालचंदनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अविनाश शिलिमकर, सहायक पुलिस निरीक्षक राजकुमार दुनगे, महेश बनकर, अभिजीत कलस्कर, शैलेश स्वामी, गुलाबराव पाटिल, जगदीश चौधरी, विक्रमसिंह जाधव, गणेश वानकर, प्रेमा सोनावणे, और सचिन खुले की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

अपराध पर अंकुश की प्रतिबद्धता

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादर ने कहा, 'समाज में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भविष्य में और अधिक अपराधियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अपराधियों की मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।'

निष्कर्ष

पुणे पुलिस की इस कार्रवाई ने संगठित अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। राजू भाले गिरोह पर मकोका लागू करना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पुणे में चोरी का आरोपी गिरफ्तारः चोरी के पैसों से खरीदी गई 14.75 लाख रुपये की कार जब्त

मुन्ना मुजावर

पुणे शहर के विभिन्न इलाकों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सिंहगढ़ रोड पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि चोर ने आठ चोरियाँ की हैं। पता चला है कि चोर ने चोरी के पैसों से एक कार खरीदी थी। उसके पास से कार समेत 14 लाख 75 हज़ार रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई है। गिरफ्तार चोर का नाम रेवन उर्फ रोहन बीरू सोनटक्के (उम्र 24, निवासी दिघी, आलंदी रोड) है। पता चला कि सोनटक्के ने सिंहगढ़ रोड, उत्तमनगर, विमाननगर और भारती विद्यापीठ इलाकों में चोरी की आठ वारदातों को अंजाम दिया था। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। चोर ने सिंहगढ़ रोड पर आनंदनगर इलाके में एक फ्लैट का ताला तोड़कर सामान चुरा लिया था। सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन की जांच टीम इस अपराध की जांच कर रही थी। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच के दौरान पता चला कि चोर सोनटक्के ने ही चोरी की है। पुलिसकर्मी देवा चव्हाण, राहुल ओलेकर और नीलेश भोरडे को सूचना मिली कि

पुलिस टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सिंहगढ़ रोड इलाके में चार घरों में चोरी की वारदातें कबूल कीं। पता चला कि उसने सिंहगढ़ रोड पर उत्तमनगर, विमाननगर और भारती विद्यापीठ इलाकों में फ्लैटों के ताले तोड़कर सामान लूटा था। पूछताछ में पता चला कि उसने चोरी के पैसों से एक कार खरीदी थी। कार उसके पास से जब्त कर ली गई है।

आरोपी रेवन उर्फ रोहन सोनटक्के एक चोर है और उसके खिलाफ सेंधमारी के 17 मामले दर्ज हैं। उसने पुणे, कोल्हापुर, नवी मुंबई और पुणे जिलों में सेंधमारी की है। इससे पहले सोनटक्के के खिलाफ पुलिस हिरासत से भागने का मामला दर्ज किया गया था।

राज्य सरकार का नया फैसला...
राज्य के स्कूलों को मिलेंगी वाशिंग मशीन...

मुन्ना मुजावर

पुणेः अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राज्य के 235 निजी सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों को व्यावसायिक वाशिंग मशीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग 13 करोड़ 99 लाख रुपये खर्च करेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक सरकारी निर्णय जारी किया है। वर्तमान में, विभाग के अंतर्गत 980 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक आश्रम विद्यालय हैं। विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति वर्ग के बालक-बालिकाओं को कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क आवास, भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएँ, खेल सुविधाएँ, शिक्षण सामग्री, बिस्तर, खाने के बर्तन आदि प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए संस्थाओं को गैर-वेतन अनुदान दिया जाता है। आश्रम विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्र मुख्यतः आवासीय होते हैं।आश्रम विद्यालय के संचालन के दौरान, छात्रों को अपने कपड़े स्वयं धोने की सीमित सुविधा होती है। छात्रों की आयु को देखते हुए, उनके लिए अपने कपड़े धोना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनका काफी समय बर्बाद होता है। परिणामस्वरूप, उन्हें पढ़ाई और बाहरी खेलों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। हालाँकि, अगर कपड़े ठीक से न धुलें, तो उनमें कीटाणु पनप सकते हैं और छात्रों को त्वचा रोग हो सकते हैं।

इसी पृष्ठभूमि में, निराश्रित जातियों और घुमंतू जनजातियों के आवासीय आश्रम विद्यालयों को व्यावसायिक वाशिंग मशीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, एक ही क्षेत्र में स्थित प्राथमिक,

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को एक इकाई मानकर, पहले चरण में 585 आश्रम विद्यालयों में से 350 को आधुनिक व्यावसायिक वाशिंग मशीन प्रदान की गईं।अब, शेष 235 आश्रम विद्यालयों को भी यह मशीनें प्रदान की जाएँगी। बताया गया है कि इसके लिए 13 करोड़ 99 लाख रुपये खर्च किए जाएँगे। मशीन क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि वाशिंग मशीन सरकारी संपत्ति मानी जाएगी और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक की होगी।

पुलिस हेल्पलाइन साइबर चोरों के निशाने पर, मदद मांगने वाले को एक लाख की चपत

मुन्ना मुजावर

पुणेः एक निजी कंपनी के उच्च पदस्थ अधिकारी, जिन्होंने दुर्घटना के बाद मदद के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर (112) पर संपर्क किया था, साइबर चोरों ने ठगी का शिकार हो गए। पता चला है कि साइबर चोरों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर में तकनीकी रूप से हेराफेरी करके ठगी की है। इस मामले में हडपसर पुलिस स्टेशन में साइबर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में एक निजी कंपनी के विभागीय प्रबंधक ने हडपसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता प्रबंधक हडपसर के मंजरी इलाके में रहते हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता बेंगलुरु की एक प्रसिद्ध दवा कंपनी में विभागीय प्रबंधक हैं। 24 जुलाई को वह अपनी कार से लातूर जा रहे थे। सावलेश्वर टोल प्लाजा पर एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर घटना की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों बाद, उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आया। 'यातायात उल्लंघन का जुर्माना लंबित है।' साइबर चोरों ने उन्हें बताया कि यह राशि चुकाने पर उन्हें तुरंत पुलिस सहायता मिलेगी। चोरों ने उन्हें मैसेज में दिए गए लिंक को खोलने के लिए कहा था। यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसके बाद, 2 अगस्त को उनका वेतन उनके खाते में जमा हो गया। अगले दिन, उन्होंने देखा कि उनके खाते से 99,999 रुपये ऑनलाइन विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए थे। उन्होंने बैंक ट्रांजेक्शन की जाँच की। पता चला कि उनके खाते से विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इस मामले में, पुलिस ने अज्ञात नंबर से संपर्क करने वाले व्यक्ति और बैंक खाताधारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक नीलेश जगदाले जाँच कर रहे हैं।

यह दैनिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, युनिट नं. 4- ग्राऊंड फ्लोर, एन के. इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नीयर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं. 2, गोरेगांव पूर्व, मुंबई 400 063 से छपवाकर, रूम नं. ३६१, जाकिर अली चॉल, स्कॉटर कॉलोनी, जोगेश्वरी (पूर्व),मुंबई ४०० ०६० से प्रकाशित. संपादक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख मो.: ९९३००२६९४२ / ९९३००२६९४३ कार्यकारी संपादक - विक्रम सेन email -fightagainstcriminal2016@gmail.com RNI. No. : MAHHIN/2016/71734 सभी पद अवैतनिक है, (विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मुंबई होगा)